संख्याः 1366 /XXIV-3/08/02(71)2006

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 22 सितम्बर, ~~अगस्त~~,2008

विषयः– स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चालू निर्माण कार्यो के लिये धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5ख–1/15063/एस0सी0पी0/2008–09 दिनांकः 10.07.2008 के संबंध में राज्य शासनादेश संख्या 370/XXIV-3/2006/02(71)2006 दिनांकः 15 अक्टूबर,2006 एवं शासनादेश संख्या 1643/XXIV-3/2006/02(71)2006 दिनांकः 21 नवम्बर, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित 03 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ–3 पर अनुमोदित कुल लागत के सापेक्ष स्तम्भ–04 पर पूर्व में स्वीकृत धनराशि का समायोजित करते हुए कालम–05 पर अंकित विवरणानुसार कुल रू0 80.00 लाख (रूपये अस्सी लाख मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या 657/XXIV-3/2008/02(37)2008 दिनांकः 16 अप्रैल,2008 द्वारा आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रूपये 500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र0 सं0	विद्यालय/जनपद का नाम	अनुमोदित लागत	अब तक स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1.	रा0इ0का0असेड सिमली, चमोली	88.10	58.10	30.00
2.	रा0इ0का0,बौरागाड़,चमोली	93.35	63.35	30.00
3.	रा0इ0का0,गैरसैंण,चमोली	72.70	52.70	20.00
	कुल योगः–	254.15	174.15	80.00

(1) उपर्युक्त विद्यालयों के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/वार्डो में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।

(2) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/

क्रमशः.....2

अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्भिता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(8) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(10) यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य संभव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाये।

(11) जी0पी0 डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

(12) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219 (2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(13) निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐंजेन्सी उत्तरदायी होगी।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जंहा आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

क्रमशः....3

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा, खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा–00–आयोजनागत,02–अ0सू0जा0 के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 0201–अ0सू0जा0 बाहुल्य क्षेत्रों में रा0हा0,इ0का0 के भवनहीन भवनों का निर्माण, 24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008 दिनांक: 27 मार्च, 2008 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्याः 1366(1)/XXIV-3/07/02(71)2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तराखण्ड ।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड ।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त,गढवाल मण्डल,पौड़ी।
6– अपर शिक्षा निदेशक,गढवाल मण्डल,पौड़ी।
7– जिलाधिकारी,चमोली।
8– कोषाधिकारी, चमोली।
9– जिला शिक्षा अधिकारी,चमोली।
10– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
11– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
12– एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– बजट,राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव।